

# बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

## BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

### अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/08/2023

अ.सं.-संबं0-6032/2023-571 / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-11.08.2023 को गैर-सरकारी फार्मसी महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर-सरकारी फार्मसी महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Pharmacy College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	A & E College of Pharmacy	Samastipur	B. Pharm	100
2	Academy of Pharmacy Medical and Management Studies	Bhojpur	B. Pharm	60
3	Acharya Dhruvasha College of Health Education	Sitamarhi	B. Pharm	100
4	Ambedkar College of Education	Rohtas	B. Pharm	100
5	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	B. Pharm	100
6	Baba Rajaram College of Education	Lakhisarai	B. Pharm	100
7	Bhojpur College of Pharmacy & Technology	Bhojpur	B. Pharm	60
8	Bihar College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100
			M. Pharm	15
9	C. R. K. College of Pharmacy	Vaishali	B. Pharm	60
10	Chanakya College of Pharmacy & Medical Sciences	Bhojpur	B. Pharm	100
11	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	B. Pharm	100
12	Faculty of Pharmacy Sachchidanand Sinha College	Aurangabad	B. Pharm	60
13	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	B. Pharm	60
14	G. M. College of Pharmacy	Begusarai	B. Pharm	60
15	Himalaya College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100
16	J.P. College of Pharmacy	Nalanda	B. Pharm	100
17	Jamui College of Pharmacy	Jamui	B. Pharm	100
18	Kamla Kapileshwar College of Pharmacy	Vaishali	B. Pharm	60
19	Kamleshwari Prasad Singh College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100
20	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences	Samastipur	B. Pharm	100
21	Leelawati College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100
22	Lord Buddha Koshi Pharmacy College	Saharsa	B. Pharm	60
23	Magadh Institute of Higher Education	Gaya	B. Pharm	100
24	Magadh Institute of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100

वि.सू.सं.

SI No	Name of the Pharmacy College	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
25	Mahadeva Lal Schroff College of Pharmacy	Aurangabad	B. Pharm	100
26	Mamta Institute of Education	Siwan	B. Pharm	100
27	Manav Bharti College of Pharmacy	Gaya	B. Pharm	60
28	Modern Institute of Pharmacy	Banka	B. Pharm	40
29	Muzaffarpur College of Professional Education	Muzaffarpur	B. Pharm	100
30	Nibha Institute of Pharmaceutical Sciences	Nalanda	B. Pharm	100
31	Patna College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	60
32	Pragya College of Pharmaceutical Sciences	Gaya	B. Pharm	60
33	Radiant Institute of Pharmaceutical Sciences	Kishanganj	B. Pharm	60
34	Rajeev College of Pharmacy	Sitamarhi	B. Pharm	100
35	Ram Sharan Roy College of Pharmacy	Vaishali	B. Pharm	100
36	Rameshwar Singh Pharmacy College	Gaya	B. Pharm	100
37	Shri Bhagwat Prasad Singh Memorial Institute of Higher Education	Aurangabad	B. Pharm	60
38	S N B College of Pharmacy	Patna	B. Pharm	100
39	S. N. S. College of Pharmacy	E. Champaran	B. Pharm	100
40	Sai College of Pharmacy	Shiekhpora	B. Pharm	100
41	Saraswati Devi Ram Sagar Jha College of Pharmacy	Samastipur	B. Pharm	100
42	Shakuni Choudhary College of Health & Sciences	Munger	B. Pharm	100
43	Shivam College of Higher Studies	Patna	B. Pharm	100
44	Shyam Sai Institute of Education	Siwan	B. Pharm	60
45	Sikaria Pharmacy College	Motihari	B. Pharm	60
46	Subhwanti Institute of Professional Education	W. Champaran	B. Pharm	100
47	Zee Educational Foundation Institute of Pharmacy	Aurangabad	B. Pharm	100
48	Indu Devi Ranjit Kumar Prakash Professional College	Vaishali	B. Pharm	100
49	Yamuna Institute of Pharmacy	Begusarai	B. Pharm	60

### नियम एवं शर्तें:-

1. औपबधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सत्र-2022-23 का संबद्धता पत्र समर्पित करेंगे।
4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा सत्र-2023-24 हेतु संबंधित Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi से नामांकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र-2023-24 में बिना PCI, New Delhi की अनुमति प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे। नामांकन की अनुमति प्राप्त होने पर अविलंब इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा PCI, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में PCI, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।

*फिरोज़*

7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
9. विश्वविद्यालय/ PCI, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
10. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ PCI, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

*वि.कु.श्री.०*  
30/8/2023

(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-571 / पटना, दिनांक 30/08/2023

प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित फार्मसी महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*वि.कु.श्री.०*  
30/8/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-571 / पटना, दिनांक 30/08/2023

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया /कुलसचिव, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/सभी प्रबंधक, जिज्ञा निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।


*वि.कु.श्री.०*  
30/8/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.-6032/2023-571...../ पटना, दिनांक 30/08/2023

प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
30/8/2023  
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना